4

कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण, सैन्टेज प्रभार, एम0ओ0यू0

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	शासकीय निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	सं0 452/XXVII(1)/2005, देहरादून, दिनांक–05 अप्रैल, 2005	99–102
2	शासकीय निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	सं0 54/CMR/XXVII(1)/2005, देहरादून, दिनांक–07 नवम्बर, 2005	103–104
3	शासकीय निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	सं0 143/XXVII(1)/2007, देहरादून, दिनांक–14 फरवरी, 2007	105–106
4	विभिन्न शासकीय विभागों के भवन, सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	सं0 39/XXVII/2007, देहरादून, दिनांक–14 अगस्त, 2007	107–108
5	विभिन्न शासकीय विभागों के भवन, सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	सं0 65/XXVII/2007, देहरादून, दिनांक–27 सितम्बर, 2007	109–110
6	विभिन्न शासकीय विभागों के भवन, सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	सं0 407/94–अधिष्ठान/2006, देहरादून, दिनांक–01 फरवरी, 2008	111–112
7	शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	सं0 1738/III(1)/08–04 (सामान्य)/2008, देहरादून, दिनांक–17 जुलाई, 2008	113–114
8	विभागों के विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	सं0 2050/III(1)/08–04(सा0)/08, देहरादून, दिनांक–21 अगस्त, 2008	115–116
9	कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों एवं साज–सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार का निर्धारण	सं0–475/XXVII(7)/2008, देहरादून, दिनांक–15 दिसम्बर, 2008	117–132
10	शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	सं0 504/III(1)/09–04(सामान्य)/2008 देहरादून, दिनांक–13 मार्च, 2009	133–134
11	विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में **Defect Liability Period** तथा अनुरक्षण अनुबन्ध सम्बन्धी प्राविधान	सं0 92/XXVI/एक(11)/2009, देहरादून, दिनांक–30 सितम्बर, 2009	135–136
12	शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण	सं0 185/XXVI/04 (सा0)/08, देहरादून, दिनांक–15 अक्टूबर, 2009	137–138

संख्या 452/XXVII(1)/2005,

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनु0 – 1 देहरादून, दिनांक : 05 अप्रैल, 2005

विषयः–शासकीय निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय निर्माण कार्यों के संपादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के चयन/निर्धारण के सम्बन्ध में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्णय लिया गया हैः–

शासकीय निर्माण कार्यो के लिए प्रदेश की निर्माण इकाईयों की तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता के आलोक में निर्माण एजेन्सियों के विस्तार पर रोक लगाने हेतु आवश्यक है कि राज्य के बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को उनके आगणन पर अब कोई भी नया निर्माण कार्य स्वीकृत न किया जाये। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के निर्माण कार्यो की क्षमता के दृष्टिगत इनसे अधिक निर्माण कार्य कराये जांय। साथ ही उत्तरांचल के राजकीय निगमों में प्रमुख रूप से उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को, जिन्हें सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु भी गठित किया गया है, से अधिक से अधिक निर्माण कार्य कराया जाये। गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुँमाऊ मण्डल विकास निगम की कार्य क्षमता को देखते हुए इनसे भी निर्माण कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत राजकीय निर्माण कार्यो हेतु उक्त निर्माण एजेन्सियों में से चयन के लिए निम्न निर्माण सिद्धान्तों/मापदण्डों का अनुपालन कराया जायः–

(क) रू0 200.00 लाख तक के सभी भवन निर्माण कार्य (मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवन) – उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरांचल राज्य के निगम एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कराये जा सकते है ।

(ख) रू0 200.00 लाख से अधिक एवं रू0 800.00 लाख तक के (मानकीकृत भवन निर्माण कार्य) किसी भी निर्माण एजेन्सी से कराया जा सकता है, परन्तु राज्य के बाहर की निर्माण एजेन्सी को न्यूनतम टेण्डर के आधार पर ही निर्माण कार्य आबंटित किये जाय।

(ग) रू0 200.00 लाख से अधिक गैर मानकीकृत भवन निर्माण कार्य तथा रू0 800.00 लाख से अधिक के समस्त भवन निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम से आगणन प्राप्त कर निविदा के माध्यम से प्रतियोगितात्मक

स्पर्धा के आधार पर कराया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम धनराशि का आंकलन निगम को देय सेन्टेज चार्जेज को घटाकर किया जायेगा।

2. कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से एक स्थान पर प्रस्तावित समस्त निर्माण कार्य एक ही कार्यदायी संस्था से कराया जाये। यदि किसी कारणवश निर्माण कार्य एक कार्यदायी संस्था को देने से निर्धारित समयान्तर्गत निर्माण कार्य पूरा न कराया जा सके तो प्रशासनिक विभाग एक से अधिक कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु आबद्ध कर सकता है, परन्तु यह आबद्धता ऐसी होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक निर्माण इकाई को निर्माण कार्य पूरा करने में दूसरी निर्माण इकाई पर किंचित मात्र भी निर्भर न रहना पड़े।

3. निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेन्सियों द्वारा तैयार किया गया आंगणन पूरी तरह लोक निर्माण विभाग की दरों पर आधारित होना चाहिए। प्रतिवर्ष मानक दरों के निर्धारण हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल पेयजल निगम/मुख्य अभियन्ता की एक समिति गठित की जायेगी, जिसके द्वारा निर्धारित मानक दरों की सूचना नियमित रूप से सभी सम्बन्धित को दी जायेगी।

4. मानकीकृत भवन की विशिष्टियां लोक निर्माण विभाग द्वारा इन भवनों के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप प्रत्येक कार्यदायी संस्था द्वारा अपने आंगणन में समावेशित किया जाना होगा। यथासम्भव इन मानकीकृत भवनों के मानचित्र लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र पर ही आधारित होगें।

5. निर्माण कार्य आवंटन के समय ही निर्धारित समय तथा लागत, जिसके अन्दर कार्य पूरा होना है, पारस्परिक विचार –विमर्श द्वारा तय कर लिया जाना चाहिए और तदनुसार निर्माण हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित प्रत्येक विभाग द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में जो निर्माण कार्य पूर्व में जिस कार्यदायी संस्था को आंवटित किया जा चुका है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन इस निर्णय के परिणाम स्वरूप नहीं किया जायेगा। केवल डेबिटेबिल कार्य की स्थिति उत्पन्न होने पर ही निर्माण दायी संस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। यथासम्भव स्वीकृत आंगणन के आधार पर तैयार किये गये विस्तृत आंगणन के अनुरूप ही पूर्व स्वीकृत निर्माण पूरे करा लिये जायें और उनमें किसी प्रकार का संशोधन केवल अपरिहार्य स्थिति में ही कराये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

6. उत्तरांचल के बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य टेण्डर के आधार पर दिए जांय एवं उत्तरांचल की कार्यदायी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाय।

7. समस्त निर्माण कार्य निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों द्वारा ही सभी निर्माण एजेन्सियों द्वारा कराये जायेंगे। किसी भी दशा में आंगणन के आधार पर कार्य का सम्पादन नहीं कराया जायेगा।

8. संशोधित आगणन का पुनः संशोधित आगणन स्वीकार न किए जाय।

9. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के चयन संबंधी आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे, अर्थात् ऐसे मामले पुनरीक्षित नहीं किए जायेंगे, जहां कार्यदायी संस्था का पूर्व से निर्धारण हो चुका है।

10. विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य का अनुश्रवण भी अत्यन्त आवश्यक है। निर्माण कार्य कराने वाले सभी प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि उनके द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए जांय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा भी नोडल अधिकारी नामित किए जांय, जो निर्माण कार्य का संयुक्त रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर तुरन्त विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यथाशीघ्र भवन आदि विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सी से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित होगा। विभागीय सचिव के स्तर पर कम से कम प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समय से निर्माण कार्य पूरा किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 452 (1)/XXVII(1)/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. प्रबन्धक निदेशक, पेयजल विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
8. एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

संख्या /XXVII(1)/2005,

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

वित्त अनु0 – 1 देहरादून, दिनांक : 07 नवम्बर, 2005

विषयः–शासकीय निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 452/XXVII(1)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 31.03.2006 तक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को नये निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था बनाया जा सकता है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 54/CMR(1)/XXVII(1)/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. प्रबन्धक निदेशक, पेयजल विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
8. एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्या / 4 3 /XXVII(1)/2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनु0 – 1 **देहरादून, दिनांक : 14 फरवरी, 2007**

विषयः– शासकीय निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 452/XXVII(1)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005, शासनादेश संख्या – 54/CMR/XXVII(1)/2005, दिनांक 07 नवम्बर, 2005 एवं शासनादेश संख्या– 1103/XXVII(1)/2006, दिनांक 25 मई, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 25 मई, 2006 के क्रम में 31.03.2007 तक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को नये निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था बनाया जा सकता है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या 143 (1)/XXVII(1)/2007, एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. **समस्त** विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊं मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
7. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
8. एन0 आई0 सी0 उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्या–39 / xxvii / 2007

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

अवस्था0वि0वि0अनु0 **देहरादूनः दिनांकः–14 अगस्त, 2007**

विषयः–विभिन्न शासकीय विभागों के भवन, सड़क, एवं सेतु निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय विभागों के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–**452 / xxvii / 2007**, दिनांकः– 5 अप्रैल, 2008 में संशोधन करते हुए वर्ष 2007–08 के दौरान विभिन्न विभागों के भवन सड़के एवं सेतु निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नवत् कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया हैः–

1. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु निर्माण कार्यों का सम्पादन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के माध्यम से पूर्ववत् कराया जाय।
2. राज्य के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के बृहद् भवन निर्माण कार्यों का सम्पादन उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग तथा " उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" को कार्यदायी संस्था बनाकर संपादित कराया जाय।
3. उक्त चिन्हित विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के अन्तर्गत भी यदि निर्माण इकाई विद्यमान हो तो ऐसे विभाग अपनी निर्माण इकाई के माध्यम से रुपये 500.00 लाख से अत्याधिक लागत वाले अपने विभागीय कार्यों का ही सम्पादन करेंगे और यदि वे कार्य के स्वरूप की दृष्टि से इस श्रेणी के कार्य किसी अन्य निर्माण इकाई के माध्यम से सम्पादित कराना चाहे अथावा कार्य की लागत रुपये 500.00 लाख से अधिक हो तो उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 के अनुसार कार्यवाही करेंगे, किन्तु सिंचाई विभाग इस प्रतिबन्ध से मुक्त होगा अर्थात सिंचाई विभाग के द्वारा किसी भी लागत तक के अपने विभागीय कार्य अपनी निर्माण इकाई के द्वारा सम्पादित कराये जा सकेंगे।
4. यह व्यवस्था वर्ष 2007–08 में स्वीकृत होने वाले नए कार्यों के लिये लागू होगा। विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को पूर्व में आंवटित कार्यों के अवशेष कार्य उन्हीं कार्यदायी संस्थाओं से पूर्ण कराये जा सकते हैं।

5. उक्त व्यवस्थायें दिनांकः—31 मार्च, 2008 तक प्रभावी रहेंगी तथा तदोपरान्त निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु न्यूनतम संख्या में निर्माण इकाईयों को सुगठित करने की दिशा में अग्रेत्तर कार्यवाही दिनांकः 31 मार्च, 2008 से पूर्व कर ली जायेगी।

6. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकः— 5 अप्रैल, 2005 कार्यदायी संस्था के चयन के प्रयोजन से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और उसमें निहित कार्य सम्पादन की प्रकिया सम्बन्धी अन्य संगत प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय

(इन्दु कुमार पाण्डे)
अपर मुख्य सचिव एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त।

संख्या 39/XXVII/2007 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(यू0डी0चौबे)
अपर सचिव,
अवस्थापना विकास विभाग।

संख्या : 65 /XXVII/2007

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
अपर मुख्य सचिव एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

अवस्था0वि0वि0 अनु0 देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर, 2007

विषयः **विभिन्न शासकीय विभागों के भवन, सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 39/XXVII/2007 दिनांक 14 अगस्त, 2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासकीय विभागों के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यद्यपि पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण के कार्यों के सम्पादन हेतु पृथक से निर्माण संस्था गठित करने हेतु कार्यवाही गतिमान है, किन्तु ऐसी संस्था के कार्यशील होने में समय लगना सम्भावित है। ऐसी स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न शासकीय विभागों के स्वीकृत/प्रस्तावित भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों में अपेक्षित गति लाये जाने हेतु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में भी उपलब्ध जनशक्ति एवं तकनीकि दक्षता का उपयोग करना उचित होगा। अतएव, सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों के बृहद भवन निर्माण कार्यों को सम्पादित करने हेतु "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" तथा लोक निर्माण विभाग के साथ–साथ सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को भी कार्यदायी संस्था के रूप में आबद्ध किया जा सकता है, किन्तु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को 31 जनवरी, 2008 तक ही नये कार्य आबंटित किये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को कार्य आबंटन (मानकीकृत/गैर मानकीकृत भवनों का निर्माण) हेतु शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल, 2005 में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह व्यवस्था भी नये कार्यों के सम्बन्ध में 31 जनवरी, 2008 तक लागू रहेगी।

उपरोक्तानुसार पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 39/XXVII/2007 दिनांक 14 अगस्त, 2007 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इसके अन्य प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
अपर मुख्य सचिव एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त।

संख्या : 65 /XXVII/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(यू0 डी0 चौबे)
अपर सचिव,
अवस्थापना विकास विभाग।

संख्या : 407 /94–अधिष्ठान /2006

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
अपर मुख्य सचिव एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

लोक निर्माण विभाग

देहरादून : दिनांक 01 जनवरी, 2008

विषयः **विभिन्न शासकीय विभागों के भवन, सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 65/XXVII/2007 दिनांक 27 सितम्बर, 2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को 31 जनवरी, 2008 तक कार्यदायी संस्था के रूप में नवीन कार्य आबंटन सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 65/XXVII/2007 दिनांक 27 सितम्बर, 2007 में की गयी व्यवस्थाएं 31 मार्च, 2008 तक लागू रहेंगी अर्थात् सन्दर्भित शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त संस्थाओं को नवीन कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था के रूप में दिनांक 31.03.2008 तक आबद्ध किया जा सकता है।

भवदीय,

1/2/08

(इन्दु कुमार पाण्डे)
अपर मुख्य सचिव एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त।

संख्या : 407 /94–अधिष्ठान /2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. प्रभारी, मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव,
लोक निर्माण विभाग।

संख्या : 738/ III(1)/08–04(सामान्य)/2008

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
अपर मुख्य सचिव एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

लोक निर्माण विभाग

देहरादून : दिनांक 17 जुलाई, 2008

विषयः **शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 452/XXVII(I)/2005 दिनांक 06 अप्रैल, 2005, शासनादेश संख्या 39/XXVII/2007 दिनांक 14 अगस्त, 2007, शासनादेश संख्या 66/XXVII/2007 दिनांक 27 सितम्बर, 2007 तथा शासनादेश संख्या 407/94–अधिष्ठान/2006 दिनांक 01 फरवरी, 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त सन्दर्भित समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार अग्रिम आदेश तक निम्नवत् कार्यवाही की जायेगीः–

1. रूपया एक करोड़ तक लागत के कार्यों के लिए निम्नलिखित संस्थाएँ अधिकृत होंगीः–
   (क) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा।
   (ख) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम।
2. रूपया एक करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य नवगठित उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम से सम्पादित कराये जाँय।
3. सिंचाई विभाग, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल विकास निगम एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग/निगम/परिषद जिनके अपने–अपने विभागीय अभियंत्रण तंत्र हैं, के द्वारा मात्र अपने विभागीय कार्यों को जिसमें उनकी तकनीकी विशेषज्ञता हो तथा जिस मूल कार्य के लिए उक्त विभाग सृजित किया गया हो, उससे सम्बन्धित कार्य ही सम्पादित किये जायेंगे। अन्य साधारण निर्माण आदि कार्य उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम के माध्यम से कराया जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम इसके लिये विभागवार कार्यो की अधिकता को ध्यान में रखते हुए विभाग के लिए उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम के अन्तर्गत इकाई बनायेगा।
4. विभिन्न निर्माण/कार्यवायी संस्थाओं को पूर्व से आवंटित किये गये कार्य उन्हीं के द्वारा सम्पादित कराये जायेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

17/7/08

(इन्दु कुमार पाण्डे)
अपर मुख्य सचिव एवं
अवस्थापना विकास आयुक्त।

संख्या : 739/ III(1)/08–04(सामान्य)/2008

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव,
लोक निर्माण विभाग।

संख्या 2050/III(1)/08-04(सा0)/98

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादूनः दिनाँक 21 अगस्त, 2008

विषय- विभागों के विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

शासकीय विभागों में विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 462/XXVII(1)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005: शासनादेश संख्या 39/XXVII/2007, दिनांक 14 अगस्त, 07: शासनादेश संख्या 65/XXVII/2007, दिनांक 27 सितम्बर, 07 तथा शासनादेश संख्या 407/94-अधि0/2006, दिनांक 01 फरवरी, 2008 निर्गत किए गए थे। उक्त समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या 1738/III(1)/08-04(सा0)/08, दिनांक 17 जुलाई, 2008 द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में नवीन दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2008 तक की व्यवस्था को दि0 31 दिसम्बर, 2008 तक लागू किया जाए।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1738/III(1)/08-04(सा0)/08, दिनांक 17 जुलाई, 2008 को अतिक्रमित करते हुए पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 65/XXVII/2007, दिनांक 27 सितम्बर, 07 में की गयी व्यवस्थाएं दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 तक लागू रहेंगी, अर्थात् संदर्भित शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त कार्यदायी संस्थाओं को नवीन कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 तक आबद्ध किया जा सकता है।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
मुख्य सचिव।

संख्या 2050/III(1)/08-04(सा0)/08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,

प्रदीप सिंह रावत
उप सचिव।

संख्याः 475/xxvii(7)/2008

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2008

विषयः कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यो एवं साज–सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक पत्र संख्याः संख्याः163 /xxvii(7) /2007, दिनांकः 22–5–2008 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम कार्यदायी संस्थाओं से डिपाजिट के रूप में किये जाने वाले निर्माण कार्यो के समबन्ध में प्रतिशत प्रभार (सैन्टेज चार्जेज) की दर पुनरीक्षित की गई थी। वर्णित पत्र के प्रस्तर–3 में लागत व निर्माण अवधि में वृद्धि को हतोत्साहित करने की व्यवस्था वर्णित की गई है। तदानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्णित पत्र के प्रस्तर– 3 (3) में इंगित एम0ओ0यू0 का प्रारूप (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में) एतद् संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय इस प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संलग्नक– यथोक्त

संख्याः 475 /1/xxvii(7)/2008/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त सचिव

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में.....(ग्राहक विभाग/संगठन का नाम) के माध्यम से (जिसे यहां एतदपश्चात "ग्राहक" कहा गया है) जिसके अन्तर्गत जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तरावर्ती भी सम्मिलित है।

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में .....(निर्माण एजेन्सी का नाम) के माध्यम से (जिसे यहां एतद्पश्चात "निर्माण एजेन्सी " कहा गया है) जिसके अन्तर्गत, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तरावर्ती तथा समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं।

के बीच

आज वर्ष.....के.....महीने की.....तारीख को निष्पादित किया गया।

जबकि ग्राहक के प्रस्ताव पर निर्माण एजेन्सी नीचे अधिलिखित शर्तो और निबन्धनों के अधीन निर्माण तथा सम्बन्धित कार्य, जिसे यहां एतद्पश्चात "परियोजना" कहा गया है, करने के लिए सहमत हो गई है, जिसकी कुल लागत प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज प्रभार) तथा समस्त अन्य प्रभार सहित) रु0.....(रुपये.....) है।

1. यह सहमति हो गई है कि परियोजना की कुल लागत रुपये.....लाख (रूपये.....) है, जैसा कि शासनादेश सं0..... दिनांक..... द्वारा जारी प्रशासनिक तथा वित्तीय संस्वीकृति मे निर्दिष्ट है, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक सं0 1 के रुप में इस समझौता ज्ञापन के साथ संलग्न है। यह भी सहमति हो गई है कि इस लागत में निर्माण एजेन्सी को देय कुल सेन्टेज प्रभार तथा समस्त अन्य प्रभार सम्मिलित हैं। परियोजना से सम्बन्धित सेन्टेज प्रभार समय–समय पर यथासंशोधित शासनादेश सं0 163/ XXVIII(7)/2007 दिनांक 22.05.2008 के अनुसार शासित होंगे। उक्त आदेश की एक प्रति अनुलग्नक सं0 2 के रूप में इस समझौता ज्ञापन के साथ संलग्न है।
2. यह सहमति हो गई है कि प्राकृतिक आपदा के मामलों को छोडकर परियोजना की प्रगति के विभिन्न चरणों /कार्य पूर्ण किये जाने के लिए निम्नलिखित समयसारणी होगी। विस्तृत संघटकवार समयसारणी/बार चार्ट अनुलग्नक 3 के रूप में यहां संलग्न हैं।

क्र0सं0	मद	दिनांक	महिनों की संख्या
1	परियोजना के प्रारम्भ करने की तारीख ।		प्रारम्भ
2	25 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति।		.....माह
3	50 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति।		.....माह
4	75 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति।		.....माह
5	100 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति।		.....माह
6	तैयार/पूर्ण परियोजना का सौंपा जाना।		.....माह

3. ग्राहक उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट समयसारणी के परिप्रेक्ष्य में भौतिक प्रगति तथा पूर्व में मुक्त निधियों/अन्तिम संवितरण की वित्तीय प्रगति के अनुसार निर्माण एजेन्सी को पर्याप्त धन (निधि) का प्रवाह सुनिश्चित करेगा। निधियों (धन) को मुक्त करने की पूर्व शर्तों के अधीन, जिनका यहां उल्लेख किया गया है, ग्राहक मांग के 30 दिन के अन्दर निधियां मुक्त करना सुनिश्चित करेगा।
4. यदि परियोजना की प्रगति उपरोक्त पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होती है तो ग्राहक निर्माण एजेन्सी से परियोजना वापिस ले सकता है और किसी अन्य एजेन्सी को आबंटित कर सकता है। ऐसी स्थिति में निर्माण एजेन्सी ग्राहक अथवा ऐसी एजेन्सी जिसके लिए ग्राहक निदेश दे, परियोजना 'जहॉ है जैसी है' आधार पर निर्मित भाग और निर्माण सामग्री, औज़ार तथा संयत्र, डिज़ाइन, रेखाचित्र तथा अन्य समस्त सामग्री/अभिलेख आदि तत्काल शांतिपूर्वक ग्राहक को लौटा देगी, ताकि निर्माण कार्य /परियोजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसी स्थिति में निर्माण एजेन्सी किसी प्रतिकर तथा/या दावे के, जो भी हो, हकदार नहीं होगी।
5. उपरोक्त पैरा 2,3,4 के प्रयोजन हेतु परियोजना कार्य की निर्माण स्थल पर दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से कम से कम प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी और ऐसी समीक्षा का कार्यवृत्त अभिलेख (रिकार्ड) और अग्रेतर उपयोग के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगी।
   ऐसे पुनरीक्षण (समीक्षा) की रीति ग्राहक द्वारा विनिश्चित की जाएगी।
6. परियोजना और उसके विभिन्न संघटकों के प्रयोजन हेतु अधिप्राप्ति समय–समय पर लागू उत्तराखंड शासन की अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार की जाएगी।

7. निर्माण एजेन्सी सृजित परिसम्पत्तियों आदि की निर्माण स्थल पर सुरक्षित रखने, उनकी सुरक्षा और परिरक्षण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी तथा सृजित परिसम्पत्तियो को हुई किसी हानि अथवा क्षति की निर्माण एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति करनी होगी।
8. निर्माण एजेन्सी सुनिश्चित करेगी कि परियोजना में अपेक्षित/पर्याप्त भूकम्परोधी तकनीकें, डिजाइन तथा संरचनाएं अपनायी गयी हैं।
9. निर्माण एजेन्सी सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त/अपेक्षित वर्षा जल संचय प्रणालियां शामिल की गयी हैं।
10. निर्माण एजेन्सी अपने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित परियोजना की मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट देगी। निर्माण एजेन्सी भौतिक और वित्तीय रिपोर्ट के साथ उसके पास उपलब्ध निधियों तथा प्रतिमाह अर्जित ब्याज का विवरण भी उपलब्ध कराएगी। निर्माण एजेन्सी निर्माण कार्य की प्रगति तथा उसके पास निधि की उपलब्धता के आधार पर कम से कम आगामी चार माह के लिए अपेक्षित मासिक निधि की मांग भी प्रस्तुत करेगी।
11. निर्माण एजेन्सी परियोजना के सम्बन्ध में एक पृथक लेखा/खाता रखेगी तथा परियोजना सौंपने से पहले उसको उपलब्ध करायी गई कुल निधियों, मदवार/कार्यवार व्यय/अर्जित कुल ब्याज तथा परियोजना लेखा के अन्तिम अवशेषों का अधिप्रमाणित विवरण प्रस्तुत करेगी। निर्माण एजेन्सी परियोजना को सौपने से पहले ग्राहक को अर्जित ब्याज सहित कुल शेष धनराशि लौटायेगी।
12. निर्माण एजेन्सी परियोजना की समस्त सामग्री तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी। तद्नुसार निर्माण एजेन्सी गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए प्रख्याात व्यावसायियों/परामर्शदाताओं द्वारा नियतकालिक निरीक्षण सुनिश्चित करेगी तथा इन निरिक्षणों की रिपोर्टें ग्राहक को भी प्रेषित की जाएगी। गुणवत्ता के आश्वासन के लिए निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होते हुए भी ग्राहक अथवा उसके द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी भी समय और समय–समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति की जांच/अनुश्रवण के लिए निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर सकेगा, जिसके लिए निर्माण एजेन्सी निरीक्षक दल को अपेक्षित सूचना और सहायता प्रदान करेगी। निर्माण एजेन्सी सदैव विस्तृत आकलन, रेखाचित्र, डिजाइन, जांच रिपोर्ट, गुणवत्ता तथा अनुश्रवण रिपोर्ट, सामग्री रजिस्टर/टी0 एण्ड पी0/परियोजना स्थल पर श्रमिक/अभियंत्रण कर्मचारी आदि का विवरण उपलब्ध

करायेगी। यदि निर्माण कार्य के दौरान और परियोजना की समाप्ति के बाद निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि या अन्तर दिखायी दे तो निर्माण एजेन्सी द्वारा उन्हें सुधारना होगा। निर्माण एजेन्सी गुणवत्ता अनुश्रवकों (मानीटर्स) की अभियुक्तियों/रिपोर्टों को सुधारने के तथा.....अवधि के अन्दर अनुपालन के लिए भी बाध्यकारी होगी। यदि निर्माण एजेन्सी त्रुटियों/अन्तर को सुधारने में असफल रहती है और/या त्रुटियों की पुनरावृत्ति होती रहती है और त्रुटियां गम्भीर प्रकृति की हैं, तो ग्राहक खण्ड 4 के उपबन्धों के अनुसार कार्य/परियोजना वापस ले सकता है।

यदि निर्माण एजेन्सी द्वारा त्रुटियां सुधारी नहीं जातीं और/या कार्य निर्माण एजेन्सी से वापस लिया जाता है तो ग्रहक निर्माण एजेन्सी से समुचित हरजाना वसूल कर सकता है। यदि निर्माण कार्य के दौरान अथवा निर्माण कार्य की समाप्ति के पश्चात गंभीर त्रुटियां ग्राहक विभाग के संज्ञान में आती हैं तो निर्माण एजेन्सी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मामले की जांच संस्थित करेगी और दो माह के भीतर दोषी अधिकारियों/पदाधिकारियों का उत्तदायित्व नियत करेंगी।

13. त्रुटियों के लिये दायिता अवधि ग्राहक को परियोजना सौंपने की तारीख से 1 वर्ष होगी। निर्माण एजेन्सी ग्राहक द्वारा समय–समय पर सूचित किये जाने वाली त्रुटियां अपने खर्चे पर ग्राहक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर सुधारेगी। ग्राहक निर्माण अवधि के दौरान भी त्रुटियां सूचित कर सकता है, जिसके लिए त्रुटियों को सुधारने की अवधि वह होगी जो ग्राहक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अथवा अन्यथा निर्दिष्ट की जाए।

14. समझौता ज्ञापन में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन/निर्माण में विलम्ब की दशा में इस परियोजना पर उपरोक्त दिनांक 22.05.2008 के शासनादेश के निम्नलिखित प्राविधान लागू होंगे (जो लागू न हो उसे काट दें)।

i. चूंकि परियोजना के पूर्ण करने की अवधि केवल 18 अट्ठारह माह है, इसलिए लागत के पुनरीक्षण की अनुमति बिलकुल नही दी जायेगी।

ii. उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेन्सी को देय प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज प्रभार) से की जायेगी।

15. भवन/परियोजना ग्राहक के प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपी जाएगी। निर्माण एजेन्सी परियोजना सौंपने के समय या उससे पहले ग्राहक को अधिप्रमाणित तथा सम्यक रूप से अनुमोदित विस्तृत आकलन जिसमें पुनरीक्षित आकलन, यदि कोई हो, भी शामिल है, समस्त रेखाचित्र, डिज़ाइन, भवन/परियोजना में प्रदान की गई सेवा के रेखाचित्र उपलब्ध करायेगी।

16. ग्राहक/उक्त कार्यों में अथवा कार्यों पर निर्माण एजेन्सी के नियोजन में श्रमिक/अन्य व्यक्ति को दुर्घटना अथवा चोट लगने के कारण अथवा निर्माण एजेन्सी, उसके कर्मचारियों अथवा एजेन्ट (एजेंटों) के किसी कार्य, त्रुटि अथवा असावधानी, भूलचूक, गलत निर्णय के कारण हुई हानि, क्षति अथवा प्रतिकर के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारितं प्रतिकर अथवा क्षति के लिए, जैसा कि संगत विधियों में परिभाषित किया जाए, निर्माण एजेन्सी दायी होगी तथा उसे ग्राहक की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

निर्माण में त्रुटियों के लिए भी निर्माण एजेन्सी दायी रहेगी और निर्माण में ऐसी त्रुटियों के कारण हुई क्षति की पूर्ति करेगी।

17. यदि कोई विवाद होता है तो उसे विवाद निवारण समिति द्वारा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे निवारण किया जायेगा:–

1. प्रमुख सचिव/सचिव ग्राहक विभाग
2. विभाग जिसके प्रशासनाधीन निर्माण एजेन्सी है उस विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव।
3. वित्त विभाग का प्रतिनिधि।
4. नियोजन विभाग का प्रतिनिधि।

समिति का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष को हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई।

ग्राहक के लिए और उसकी ओर से	निर्माण एजेन्सी के लिए और उसकी ओर से
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम
साक्षी	साक्षी
1.	1.
2.	2.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding is made at..... on this.....day of .....,20..... Between the..... (name of client department/organization).....through .....(hereinafter referred to as 'Client'), which expression shall, unless repugnant to the context thereof, include its successor in office, of the one part.

AND

.....(Name of Construction agency) through.....(hereinafter referred to as ('Construction agency'), which expression shall, unless repugnant to the context thereof, include the successors & assigns, of the other part.

Whereas on the proposal of the Client the Construction Agency has agreed to do construction and related works of .....(name of work) having total cost (including the centage charges and all other charges) of Rs ..... (Rupees.....), which hereinafter referred to as the 'Project', as per the terms and conditions laid down here below.

1. it is agreed that the total cost of the Project is Rs. .....lacs (Rs. .....) as indicated in the administrative and financial sanction issued vide Govt. Order No. .....dated....., the copy of which is annexed to this MoU as Annexure No. 1. It is also agreed that the cost includes total centage charges

payable to the Construction Agency as well as all other charges. The centage charges with regard to the Project shall be governed as per the Govt. order No-163/. xxvii(7)/2007, dated : 22-05-2008 or as amended from time to time. A copy of the said order is annexed to this MoU as Annexure No.2.

2. It is agreed that the time schedule and phasing of the progress/completion of the Project except in the cases of force majeure shall be as follows; the detailed component wise time schedule/bar chart is annexed herewith as Annexure No.3. :-

S.No.	Item	Date	No. of months
(i)	Date of start of Project		Start
(ii)	Percentage achievement of physical progress upto 25%		(.....months)
(iii)	Percentage achievement of physical progress upto 50%		(.....months)
(iv)	Percentage achievement of physical progress upto 75%		(.....months)
(v)	Percentage achievement of physical progress upto 100%		(.....months)
(vi)	Handing over of finished and completed project by		(.....months)

3. Client will ensure adequate fund flow to the Construction Agency commensurate with the physical progress as per schedule as indicated in para 2 above and financial progress of

previously released funds/last disbursements. The client will ensure release of funds within thirty days of demand subject to fulfilling the preconditions of fund release as has been mentioned herein

4. If the progress of the Project does not match with the targets set in Para 2 above, than the Client may withdraw the Project back from the Construction Agency and may allot the same to some other agency. In such a case the Construction Agency shall peacefully handover the Project back to the Client, or the Agency to whom the Client may so direct, immediately along with all the constructed portion on 'as is where is' basis and also the building material, tools and plants, designs, drawings and all other material/records etc so that the construction work/implementation of the Project do not get adversely affected. In such a situation the Construction Agency shall not be entitled for any compensation and/or claim whatsoever.

5. For the purpose of the Para-2, 3 and 4 above, the Project work shall be reviewed at least every month jointly by both the parties at the site and the minutes of such review be jointly signed for records and for further use. The modalities for such review shall be decided by the Client.

6. Procurement for the purpose of the Project and its various components shall be done as per the Procurement Rules of the Uttarakhand Govt. as applicable from time to time.

7. The Construction Agency shall be wholly responsible for the safe keeping, security, protection of assets created etc. at the site and any loss or damage to the assets created shall be indemnified by the Construction Agency.

8. The Construction Agency shall ensure that required/ adequate earthquake resistant techniques, designs and structures are adopted in the Project.

9. The Construction Agency shall ensure that adequate/ required rain water harvesting systems are included in the project.

10. The Construction Agency shall provide monthly physical and financial progress report of the Project which are duly certified by its authorized officer. The Construction Agency shall also provide the details of the funds available with it, and also the interest earned, every month along with the physical and financial progress report. The Construction Agency shall provide monthly fund requirements at least for the next four months based on the progress of the work and fund availability with it.

11. The Construction Agency shall maintain a separate Project account/ledger and shall, prior to the handing over of the Project, provide certified details of total funds made available to it, total item/work wise expenditure, total interest earned and the final balances of Project account. The Construction Agency shall refund all the balance money, including the interest earned, to the Client prior to the handing over of the Project.

12. The Construction Agency shall be responsible for ensuring the quality standards of all the material & works of the Project. Accordingly, the Construction Agency shall ensure periodic inspections by Professionals/Consultants of repute to ensure the quality standards and the reports of these inspections shall be sent to the Client also. Not withstanding the responsibility of the Construction Agency for assuring quality, the Client or any person(s) or authority on its behalf or on behalf of the Government may inspect the construction work at any time and from time to time for checking the quality and progress of the work/monitoring, for which the Construction Agency shall provide all the information and assistance required by the inspecting team. The Construction Agency shall, at all the time, make available the detailed estimates, drawings, designs, test reports, quality and monitoring reports, register of materials/ T&P/labours/engineering staff etc. at the Project site. If during

the construction and after the conclusion of the Project, any defects or variation are observed during the inspection they will have to be rectified by the Construction Agency. The Construction Agency shall also be obliged to rectify the observations/reports of the quality monitors and give compliance report within .....period. If the Construction Agency fails to rectify the defects/ variations and/or the defects continue to be repeated and the defects are of serious nature, then the Client may take the work/Project back as per the provisions of clause-4.

In case the defects are not rectified by the Construction Agency and/or the work is withdrawn from the Construction Agency, the Client may recover suitable damages from the Construction Agency.

If during the course of construction or after conclusion of construction serious defects come to the notice of the Client Department the Construction Agency shall on receiving such intimation institute an enquiry into the matter and fix responsibility of the delinquent officers/officials within 02 months

13. The defect liability period shall be one year from the date of handing over the Project to the Client. The Construction Agency shall get the defects, as may be reported by the Client from time to time, rectified at its own cost within the period

specified by the Client. The Client may also report the defects during the construction period for which the defect rectification period shall be as indicated by the Client in its report or otherwise.

14. Notwithstanding any other provision of this MoU, in the case of delay in the implementation/construction of the Project as per the provisions mentioned in para 2 above, the following provisions of the G.O. dated: 22-5-2008, mentioned above, shall apply to this Project:-(cross whichever is not applicable)

(i) Since the project completion period is upto 18 (Eighteen) months only hence revision of the cost shall not be allowed at all.

(ii) In case of any delay in completion of the project or its progress as per the schedule indicated in para 2 above, a deduction of 0.1% per month (in case of delay upto three months) or 0.25% per month thereafter in the centage charges, payable to the Construction Agency shall be made.

15. The building/Project shall be handed over to the authorized person of the Client. The construction Agency, at the time of handing over or prior to that, shall provide to the Client certified and duly approved detailed estimates, including revised

estimates if any, all the drawings, designs and drawings of the services provided in the building/Project.

16. The Construction Agency shall remain liable to and shall indemnify the Client, in respect of losses, damages, or compensation arising out of any accident or injury sustained by the Client any workmen in the employment of the Construction Agency while in or upon the said works/any third person or the same arising out of any act, default or negligence, omission and commission, error in judgment on the part of Construction Agency, its employees or its agent(s) subject to the determination of the compensation or damages by the competent authority as defined in the relevant laws. The Construction Agency shall also remain liable for the defects in construction and shall indemnify damages arising out of such defects in construction.

17. Should there be a dispute the same shall be resolved by a Dispute Resolution Committee constituting of the following:-

(1) Principal Secretary/Secretary of Client Department.
(2) Principal Secretary/Secretary of the Department under whom administration the Construction Agency belong.
(3) Representative of Finance Department.
(4) Representative of Planning Department.

The decision of the committee shall be binding on the Parties.

IN WITNESS WHERE OF parties hereto have set their hands through their authorized representatives on this deed and affixed their seals on date, month and year first above written.

For and on behalf of the Client.	For and on behalf of the Construction Agency.
Name and Designation	Name and Designation
Witness	Witness
1.	1.
2.	2.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 वित्त / 558–09–01–2009–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

संख्या : 504 / III(1) / 09–04(सामान्य) / 2008

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

लोक निर्माण विभाग

देहरादून : दिनांक 13 मार्च, 2009

विषयः **शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 462/XXVII(I)/2005 दिनांक 05 अप्रैल, 2005, शासनादेश संख्या 39/XXVII/2007 दिनांक 14 अगस्त, 2007, शासनादेश संख्या 65/XXVII/2007 दिनांक 27 सितम्बर, 2007, शासनादेश संख्या 407/94–अधिष्ठान/2006 दिनांक 01 फरवरी, 2006, शासनादेश 1738/III(1)/08–04(सामान्य)/08 दिनांक 17 जुलाई, 2008 तथा शासनादेश संख्या 2050/III(1)/08–04(सामान्य)/08 दिनाक 21 अगस्त, 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त सन्दर्भित समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार अग्रिम आदेश तक निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:–

1. रू. 1.00 करोड़ लागत तक के कार्यों के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया जा सकता है।
2. रू. 1.00 करोड़ से अधिक किन्तु रू. 5.00 करोड़ से अनाधिक लागत की परियोजनाओं के लिए लोक निर्माण विभाग अथवा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था बनाया जा सकता है।
3. रू. 5.00 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम से सम्पादित कराये जायेंगे। उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम इसके लिये विभागवार कार्यों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए विभाग के लिए उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम के अन्तर्गत इकाई बनायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव।

संख्या : 504 / III(1) / 09–04(सामान्य) / 2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव / सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से,
(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव,
लोक निर्माण विभाग।

संख्या : 92 /XXVI/एक(11)/2009

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेष्य,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 30 सितम्बर, 2009

विषय : विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में **Defect Liability Period** तथा अनुरक्षण अनुबन्ध सम्बन्धी प्राविधान।

महोदय,

पूंजीगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से अनुरक्षण हेतु प्राविधान करने तथा Defect Liability Period निर्धारित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल तत्काल प्रभाव से निम्न स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1. प्रदेश के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत समस्त पूंजीगत परियोजनाओं हेतु Defect Liability Period 01 वर्ष निर्धारित किया जाता है। तद्नुसार समस्त विभागों द्वारा निर्माण अनुबन्ध (Construction Agreement) में ही इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा और समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा Defect Liability हेतु संविदा का कड़ाई से Enforcement सुनिश्चित किया जाएगा।

2. मार्गों/सड़को के सम्बन्ध में निर्माण अनुबन्ध में ही अनुरक्षण अनुबन्ध की अवधि 03 वर्ष निर्धारित की जाती है। प्रत्येक अनुरक्षण अनुबन्ध Defect Liability Period के साथ ही प्रभावी होगा। यह अनुरक्षण अनुबन्ध डामरीकरण के साथ पूर्ण किए जाने वाले सड़क निर्माण कार्य एवं ऐसे सड़क निर्माण कार्यों पर भी प्रभावी होगा, जिसके फलस्वरूप निर्मित मार्ग पर सार्वजनिक यातायात विधिवत चालू हो जाए।

3. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से एक त्रि–स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था बनाई जाती है। प्रथम स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था कार्यदायी संस्था अर्थात जिस निर्माण संस्था द्वारा निर्माण कार्य कराया जाए, उसके विभाग के स्तर पर बनायी जाएगी तथा द्वितीय स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था उस प्रशासकीय विभाग के स्तर पर बनाई जाएगी जिसका निर्माण कार्य कराया जाना हो। तृतीय स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था नियोजन विभाग के स्तर पर बनाई जाएगी।

समस्त विभाग उपर्युक्तानुसार निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से एक प्रकोष्ठ का गठन करेंगे तथा निर्माण कार्यो का निरन्तर अनुश्रव कर मासिक आधार पर नियोजन विभाग को अवगत कराया जाना भी सुनिश्चि करेंगे।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव।

संख्या : 92 / XXVI/एक(11)/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
9. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण को मा0 मंत्रीगण के सूचनार्थ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या 185/XXVI/04(सा0)/08

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष**
   उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषयः–शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं–452/XXVII(I)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005, शासनादेश सं–39/XXVII/2007, दिनांक 14 अगस्त, 2007, शासनादेश सं–65/XXVII/2007, दिनांक 27 सितम्बर, 2007, शासनादेश सं–407/94–अधिष्ठान/2006, दिनांक 01 फरवरी, 2008, शासनादेश सं–1738/III(I)/08–04(सामान्य)/08, दिनांक 17 जुलाई, 2008, शासनादेश सं–2050/III(I)/08–04(सामान्य)/08, दिनांक 21 अगस्त, 2008 तथा शासनादेश सं–460/III(I)/08–04(सा0)/06, दिनांक 04 मार्च, 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम को उत्तराखण्ड में दिनांक 31 मार्च, 2010 तक कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त विषयक पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

राधा रतूड़ी
सचिव।

संख्या 185/XXVI/04(सा0)/08, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी का मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

3. महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से

जी0वी0 ओली
संयुक्त सचिव।